1695

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586418

<u>लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

1. भूमि का प्रकार - कृषि
   (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम – ग्राम शाहपुर बम्हैटा
4- सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं0 1441 के खसरा नं0 1822
5- मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर

For Global Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

12 APR 2010
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

विक्रय पत्र

1,633,505.00/	3,001,000.00	10,000.00	60	10,060.00	3,000	
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री मै0 उप्पल चड्ढा हाई टैक द्वारा दीपक पाठक
पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी स्थायी 33 कम्युनिटी सैन्टर न्यू फ्रेन्डस का0 नई दिल्ली
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/4/2010 समय 12:00AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

[redacted]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एस0 के0 सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
गाजियाबाद
12/4/2010

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री टीमू
पुत्र श्री सुजान
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा गा0 बाद

[redacted]

क्रेता
श्री मै0 उप्पल चड्ढा हाई टैक द्वारा दीपक पाठक
पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी 33 कम्युनिटी सैन्टर न्यू फ्रेन्डस का0 नई दिल्ली

[redacted]

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री फूल कुमार
पुत्र श्री रनपाल
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी शाहपुर बम्हैटा गा0 बाद
व श्री नैपाल सिंह
पुत्र श्री शिशपाल
पेशा
निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा गा0 बाद
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

[redacted]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एस0 के0 सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
गाजियाबाद
12/4/2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586417

(2)

6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.1518 हैक्टेयर

7- सडक की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक

8- अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) N.A

9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि

10. प्रतिफल की धनराशि 16,33,505/-रूपये

11- पेड कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नही हैं

For Unnati Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

विक्रेता

Registration No 1695 Year 2010 Book No

01.01 टीपू

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586416

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

<u>विक्रेता का विवरण:-</u>

1. नाम : टीपू

पिता का नाम : श्री सुजान

स्थाई पता : ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

व्यवसाय :

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

फैला

Registration No. : 1695 Year : 2,010 Book No. : 1

0201 मै0 डगल पक्का हाउस टैक द्वारा दीपक पाठक

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

12 APR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586415

(4)

<u>क्रेता का विवरण:-</u>

1. नाम : मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा श्री दीपक पाठक

पिता का नाम : श्री अम्बादत्त पाठक,,

स्थाई पता : 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्ड्स कालौनी नई दिल्ली

व्यवसाय :

Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586414

(5)

<u>विक्रय पत्र</u>

विक्रय पत्र अंकन : 16,33,505/ रूपये ।
स्टाम्प पेपर अंकन : 2,10,100/ रूपये ।

यह कि टीपू पुत्र श्री खजान निवासी-ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (फरीक अव्वल /विक्रेता) ।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt Ltd

Authorised Signatory

Tejendr.

दफ्तर [illegible] रजिस्ट्रार [illegible] * उत्तर प्रदेश *

५८५ ५५

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586413

(6)

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक, निवासी-33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/केता) ।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt Ltd

Authorised Signatory

Tajendu [redacted]

12 APR 2010
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586412

(7)

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 1441 के खसरा नं0 1822 रकबई 0.7590 हैक्टेयर का 1/5 भाग अर्थात 0.1518 हैक्टेयर का प्रथम पक्ष विक्रेता विक्रेता अनुसार खतौनी 1416-1421 फसली फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा मे विक्रय किया जा रहा है।

For Ushal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

TREASURY

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

12 APR 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586411

(8)

2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। विक्रय भूमि के चारो ओर 200 मीटर से अधिक तक कृषि कार्य हो रहा है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 1,97,68,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से रू0 1,07,60,869.56 प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 16,33,505/-रूपये (सौलह लाख तैंतीस हजार पाँच सौ पाँच रूपये मात्र) मे तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

[illegible] सब रजिस्ट्रार प्रथम [illegible]

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 163183

(9)

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नही है। विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्कान्ति व शत्रु संपत्ति नही है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt Ltd

Authorised Signatory

प्रथम

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 976853

(10)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नही है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का डयूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

575

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय मे कोई दोष व त्रुटि नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित /उल्लिखित भूमि के संबध मे मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक मे कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य मे इस संबध मे कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगे

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र मे वर्णित उक्त खाता नं0 1441 के खसरा नं0 1822 रकबई 0.7590 हैक्टेयर का 1/5 भाग अर्थात 0.1518 हैक्टेयर स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद उसके अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णत: प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अत: मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्व बुद्वि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उसमे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी

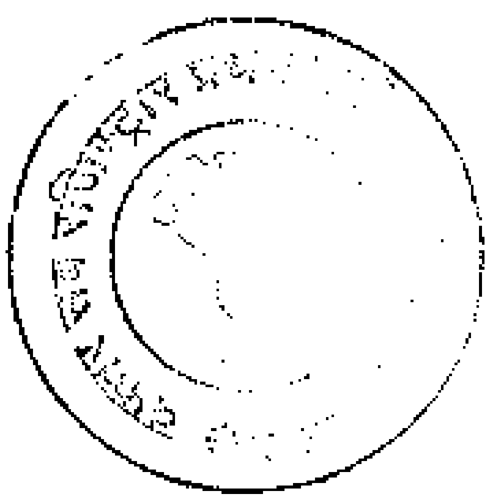

अंकन-16,33,505/-रूपये (सौलह लाख तैंतीस हजार पाँच सौ पाँच रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 8,16,752.50/-रूपये(आठ लाख सोलह हजार सात सौ बावन रूपये पचास पैसे मात्र) होते है के एवज में बहाय फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक, निवासी-33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोइ एतराज नहीं होगा ।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा ।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/ विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है। क्रेता कम्पनी का पेन नं0 AAACU7200M है ।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

दफ्तर एवं

TE PLAN OF AGRICULTURAL LAND, AN ...

VILLAGE ...

TEHSIL AND DISTT. GHAZIABAD (U.P.)

AREA ...

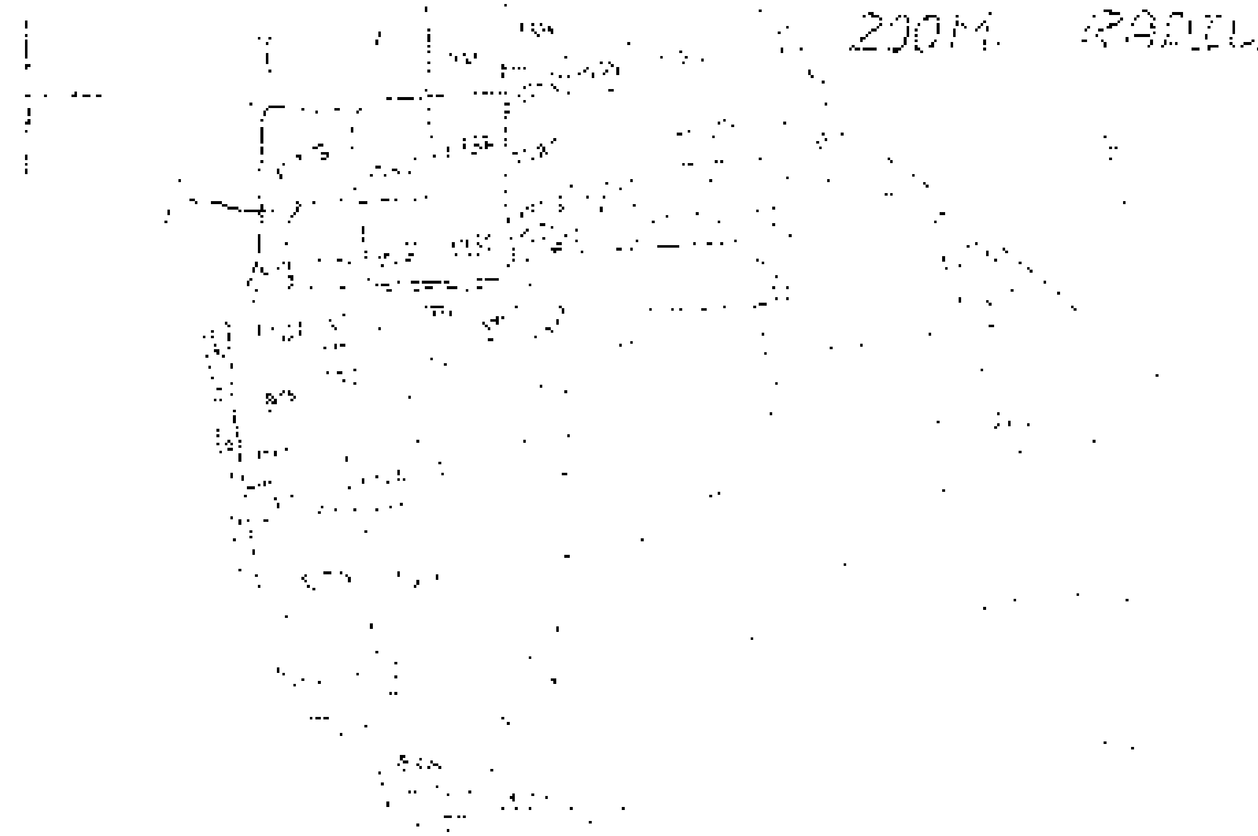

SELLER'S SIGN.

PURCHASER'S SIGN.

SINGH ASSOCIATES
Architect Engineer

No 1675/2010

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.1518 हैक्टेयर, खाता नं0 1441 के खसरा नं0 1822 स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) एक्सेस बैंक लि0 अम्बेडकर रोड नेहरू नगर गाजियाबाद ब्रान्च चैक नम्बर 207058 दिनांकित 06-04-2010 अंकन-16,33,505/-रूपये (सौलह लाख तैंतीस हजार पाँच सौ पाँच रूपये मात्र) फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये हैं।

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1 सुखवीर S/o रनपाल सिंह
नि० शाहपुर बम्हैटा गा०बाद

गवाह नं0 2 सौपाल सिंह S/o निहाल
नि० शाहपुर बम्हैटा गा०बाद

तहरीर दिनांक : 12.04.2010 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नम्बर यू0 पी0 588/92 चैम्बर नं0 297 सिविल कोर्ट गाजियाबाद।

Tejendra
Advocate
Civil Court, GZB

आज दिनांक **12/04/2010** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **8260**

पृष्ठ सं. **81** से **110** पर क्रमांक **1695**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] कु0 सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

गाजियाबाद

12/4/2010

उद्धरण खतौनी

फसली वर्ष : 1412-1417

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार जिसके आधार पर जोत धारित है	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	आलगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश का दिनांक, उसकी संख्या तथा विशेष विवरण सहित और आदेश देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क भूमिधर जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर									
01441	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1789	0.339		[illegible] दिनांक 03/26-[illegible] खाता सं. 1441 के भूमि नं0 1789/0.339, 1796/0.266, 1797/0.266, 1821/0.177 कुल 4 [illegible] 0.948 [illegible] [illegible] से विक्रेता [illegible] [illegible] निवासी [illegible] [illegible] [illegible] दर्ज हो ह0 आर0के0 [illegible] 1821/0.759 का. 37.50 के बयनामा भाग से विक्रेता [illegible] नि. ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता [illegible] सिंह नि. ग्राम का नाम बतौर भूमिधर दर्ज हो ह. आर.के.	
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1796	0.266			
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1797	0.266			
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1831	0.177			
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1822	0.759			
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम						

कुल गाटे : 5 कुल रकबा : 1.607 75.05

हस्ताक्षर

[illegible] / नायब तहसीलदार

लाभार्थी परिवार के

परिवार के

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	लिंग	मुखिया से सम्बन्ध	आयु
1.	[illegible]	M	स्वयं	29
2.	[illegible]	F	पत्नी	27
3.	[illegible]	M	पुत्र	10
4.	[illegible]	M	"	08
5.	[illegible]	M	"	06
6.	[illegible]	F	पुत्री	04
7.	[illegible]	F	"	02
8.				
9.				
10.				
11.				
	योग			

[illegible] विवरण पूर्ण [illegible] है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

[illegible] (परिवार का मुखिया)

मुखिया का नाम [illegible] 801133

सदस्यों का विवरण

क्रमांक	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	कुल योग	

प्रत्येक प्रविष्टि पर [illegible] सहित हस्ताक्षर

[illegible] पदाभिहित अधिकारी
नाम एवं पदनाम सहित मोहर

PRECAUTIONS TO CUSTOMER

1. Keep Pass Book & Cheque Book at safe place.
2. Deposit cash at cash receiving counter only.
3. Get your Pass-Book updated at frequent intervals.
4. In case of any discrepancy, inform immediately.

ग्राहकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

1. पास बुक तथा चैक बुक सुरक्षित स्थान में रखें।
2. नकदी को केवल नकदी प्राप्ति काउंटर पर ही जमा करें।
3. पास बुक नियमित अंतरालों में अद्यतन कराएं।
4. कोई विसंगति होने की स्थिति में, तत्काल सूचित करें।

नामांकन दर्ज
पृष्ठ सं. ....
दिनांक ....

Nomination Regd.
Page No. ....
Date: ....

[illegible] शाखा
BRANCH

नाम [illegible]
NAME

पता [illegible]
Address

प्राधिकृत हस्ताक्षर
Authorised Signature

बचत बैंक खाता संख्या
Savings Bank A/c No. ....

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 16010210111 ग्राम का नाम : शाहपुर [illegible] परगना [illegible] तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौरूसिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व/लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या अन्तरण संक्रमण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
01441	रमेश	भोला	नि. ग्राम	1360फ	1789	0.1390		आदेशानुसार [illegible] दिनांक 63/26-4-03 खाता सं0 1441 के खसरा नं0 1789/0.139,1796/0.26 1797/0.266,1821/0.177 कुल 4 किता रकबा 0.848 के [illegible] भाग से विक्रेता [illegible] पुत्र उदय [illegible] का नाम खारिज करके क्रेता [illegible] पुत्र [illegible] नाम [illegible] दर्ज हो ह0आर0के0 आदेशानुसार [illegible] 4.278/23-5-05 खा.नं. 1822/0.759 ता. 37.50 के [illegible] भाग से विक्रेता [illegible] पुत्र [illegible] नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता [illegible] पुत्र [illegible] नि.ग्राम का नाम [illegible] दर्ज हो ह.आर.के.	
	महेश	भोला	नि. ग्राम	1360फ	1796	0.2660			
	[illegible]	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1797	0.2660			
	[illegible]	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1821	0.1770			
	[illegible]	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1822	0.7590			
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम						
	[illegible] चन्द	रामफल	नि. ग्राम						
	सत्यपाल	रामफल	नि. ग्राम						
				कुल गाटे : 5	कुल क्षे.	1.6070	75.05		

हस्ताक्षर

[illegible]

लेखपाल

[illegible]

[illegible]

04.11/2009

[illegible] 1 of 1

क्रमांक सं. 94792

उत्तर प्रदेश शासन

ई-डिस्ट्रिक्ट - जनसुविधा केन्द्र **जनपद : गाज़ियाबाद**

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला गाजियाबाद
तहसील सदर
आवेदन क्र० 009/Caste09/CC52488
प्रमाणपत्र क्र० 090209313686

जारी दिनांक: 13/11/2009

प्रमाणित किया जाता है कि	श्री टीपू यादव
पुत्र/पुत्री	श्री रामलाल
निवासी	शाहपुर बम्हैटा
ग्राम	
तहसील	सदर
जिला	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर जाति के व्यक्ति है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री टीपू यादव पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है

जारी कर्ता केन्द्र: सी. एस. सी. केन्द्र
पद: केन्द्र प्रभारी
स्थान : सदर गाजियाबाद
दिनांक:
हस्ताक्षर एवं मुहर

SATISH CHANDRA SHUKLA

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर-गाजियाबाद
दिनांक: 13/11/2009

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है।
सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाण पत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

पूर्वाचल ग्रा० निजामाबाद

आजमगढ़

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 1441 खसरा नम्बर 1822 रकबा 0.1570 स्थित ग्राम [illegible] परगना [illegible] व तहसील [illegible] जिला आजमगढ़ । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चढ्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

[illegible] निजाम

[illegible]

[illegible] पर आपका कोई बकाया नहीं है।

[illegible]

शाखा [illegible]

JURIX-PRO
Advocates

TO WHOM IT MAY CONCERN

LEGAL OPINION CUM SEARCH REPORT

Dear Sir,

I have examined the documents (Khasra, Khatauni and Search Certificate) and old revenue records available regarding the property given below and on basis of documents provided by you, I have prepared a detail report in respect of the property mentioned here in below -

Sl.No	Particulars	Response
1	Name and Address of the owner/s	***Teepu son of Sri Khajan*** resident of Vill- Shahpur Bamheta, Pargana - Dasna, Tehsil & Distt.-Ghaziabad.
2.	Respective shares	***1/5 share in the property.***
3	Detail of the property to be acquired	**Khata No- 1441** Khasra No. 1822 area 0.759 Hect, situated at Vill - Shahpur Bamheta, Pargana - Dasna, Tehsil & Distt -Ghaziabad ***Proposed sale deed area – 0.1518 Hect.***
4.	Category of tenure holder	Tenure holder has transferable right
5.	Caste	[illegible]
6.	(i) Charges or lien over the property by Bank etc	According to khatauni no charges or lien found over the share of seller.
7.	(ii) Whether NOC/No dues for transfer of land is required (from Mortgaged Bank/ financer/Money Lender, if any)	
8.	Details of Register search in the office of Sub-Registrar.	As per Search Certificate form sub registrar bearing no. ………………. no encumbrance found on the property.
9.	Revenue records inspected during investigation:	1) Khatauni of fasli year 1362 2) Khatauni of fasli year 1378-1380 3) Khatauni of fasli year 1382-1386 4) Khatauni of fasli year 1387-1392 5) Khatauni of fasli year 1400-1405 6) Khatauni of fasli year 1412-1417

Document	Name endorsed	Khasra No.	Khata No.	Comments/Order
Khatauni fasli year 1362	Bhola, Rudhmal, Kanwal, Khajan and Hetram sons of Udday	1822	402	Area 3-0-0

Office at
25, Salempur House, Qaiserbagh, Lucknow
Mobile No:09335266005, 09336833344, 09311558884

Khatauni fasli year 1376-1380	Bhola Rudhmal, Kanwal, Khajan and Hetram sons of Uddey	1822	447	Recorded as sirdar
Khatauni **fasli year 1382-1386**	Bhola, Rudhmal, Kanwal, Khajan and Hetram sons of Uddey	1822	564	....
Khatauni fasli year 1387-1392	Bhola, Rudhmal, Kanwal, Khajan and Hetram sons of Uddey	1822	367	Vide order dated 8.04.82 passed by RI, after the death of Khajan the name of his legal heir Teepu s/o Khajan is endorsed in the Khatauni in place of Khajan.
Khatauni fasli year 1400-1405	Bhola, Rudhmal, Kanwal and Hetram sons of Uddey. Teepu s/o Khajan	1822	513	Vide order dated 9.08.97 after the of Bhola the names of Ramesh, Mahesh, Suresh and Naresh sons of Bhola is endorsed in his place as his legal heirs
Khatauni fasli year 1406-1411	Ramesh, Mahesh, Suresh and Naresh sons of Bhola, Rudhmal, Kanwal and Hetram sons of Uddey. Teepu s/o Khajan	1822	....	....
Khatauni fasli year ~~1406-1411~~ 1412-1417	Ramesh, Mahesh, sons of Bhola, Rudhmal, Kanwal and Hetram sons of Uddey Teepu s/o Khajan. Maheshchand Satyapal sons of Rambal	1822	1441	....
10.	Specific comments			***As per records available seller has 1/5 shares in property and he wants to sell his full share of Khasra No. 1822.***
11.	Remarks			On the basis of the document and records available, the name of the aforesaid owner/s is endorsed in the revenue records and title chain is complete. Seller/s has/have clear, marketable and transferable rights

Date :

For-JURIX-PRO

(Ravendra Pratap Singh)
Advocate

RAJENDRA KASANA
ADVOCATE
GHAZIABAD

56
8/11/2010

न्यायालय I ACJ (JD) गा०बाद

वाद सं० 502/09

श्रीमती [illegible] बनाम [illegible] आदि

समाधान रिपोर्ट
[illegible] [illegible]
[illegible]

टिकट ... रु० ...
मुख्य प्रतिलिपिक

CANC
FIVE RUPEES

CANC
FIVE RUPEES

प्रतिलिपि विभाग
गाजियाबाद

देने की तिथि 5/11/10
नोटिस तैयार की तिथि 5/11/10
प्रतिलिपि जारी की तिथि 5/11/10
मुख्य प्रतिलिपिक
दीवानी कचहरी, गाजियाबाद

16क

कार्यालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं- 1, गाजियाबाद

वाद संख्या- 102 सन् 2009

श्रीमती सरोज बनाम श्री टीटू त्यागी

कमीशन रिपोर्ट अमीन

श्रीमान जी,

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मैं अमीन सदर गाजियाबाद दिनांक 22-11-09 को वादी की निशान देही पर ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद पहुँचा। जहाँ वादी की निशान देही पर और वादपत्र के नोटिस जमा व नक्शा नजरी कागजात संलग्न मिसिल अमल में लायी गयी है जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है। वादी की निशान देही पर विवादित सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निरीक्षण किये। नक्शा - नजरी तैयार किया मौके की पैमाइश व बयान दर्ज किया। संलग्न नक्शा रिपोर्ट का भाग है।

विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मौके में शेड्यूल - अ, ब, स, द, य से दर्शाया गया है। शेड्यूल - अ व अक्षर A B C D से दर्शित सम्पत्ति

न्यायालय अपर सेशन जज ([illegible]) कोर्ट नं-1, गाजियाबाद

वाद संख्या - 502 सन 2009

[illegible] बनाम श्री टीटू आदि

नक्शा - नजरी [illegible] ग्राम [illegible] गाजियाबाद

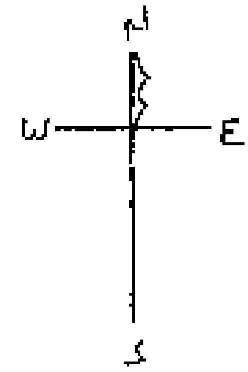

शेड्यूल - क

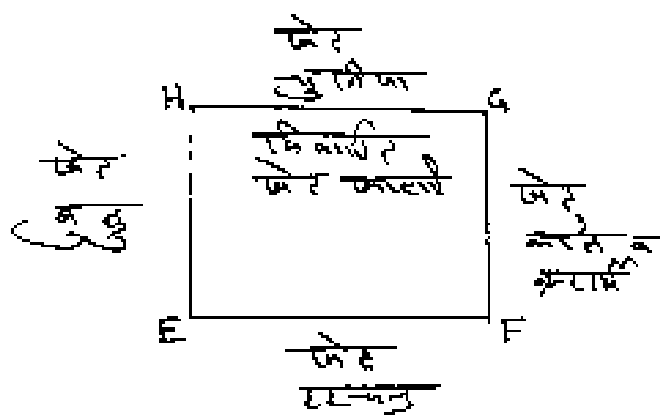

शेड्यूल - ख

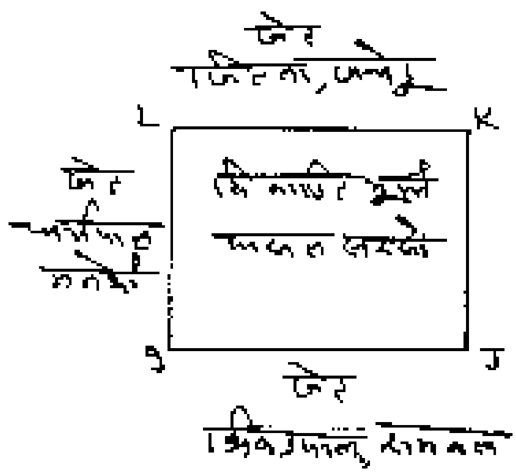

शेड्यूल - ग

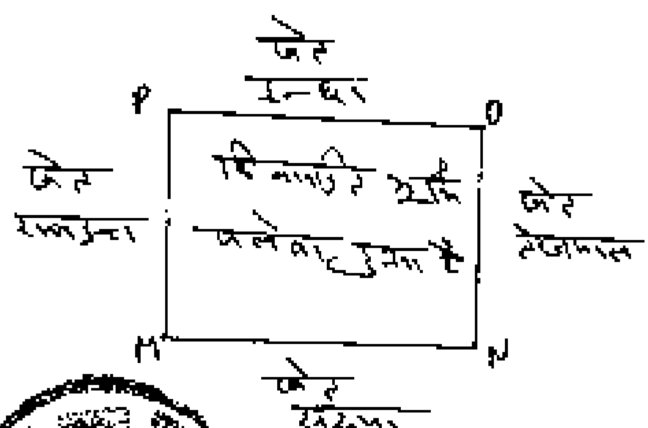

शेड्यूल - घ

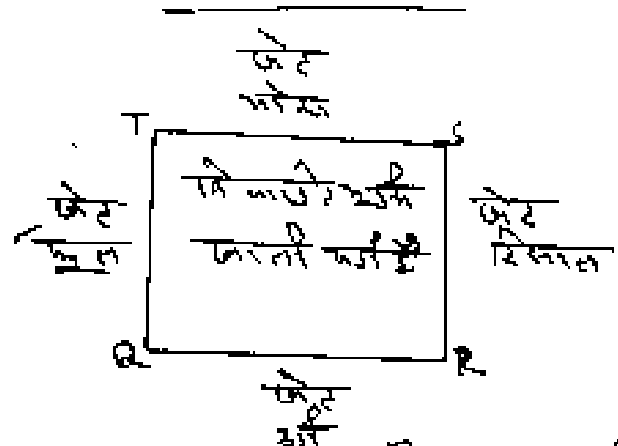

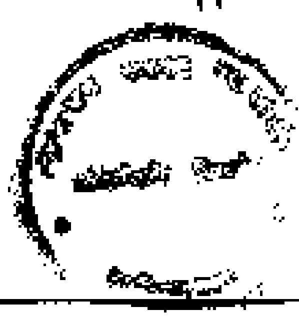

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं०-1, गाजियाबाद

वाद संख्या – 502 सन् 2009 [illegible]

[illegible] बनाम श्री टीटू आदि

नक्शा नजरी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गाजियाबाद

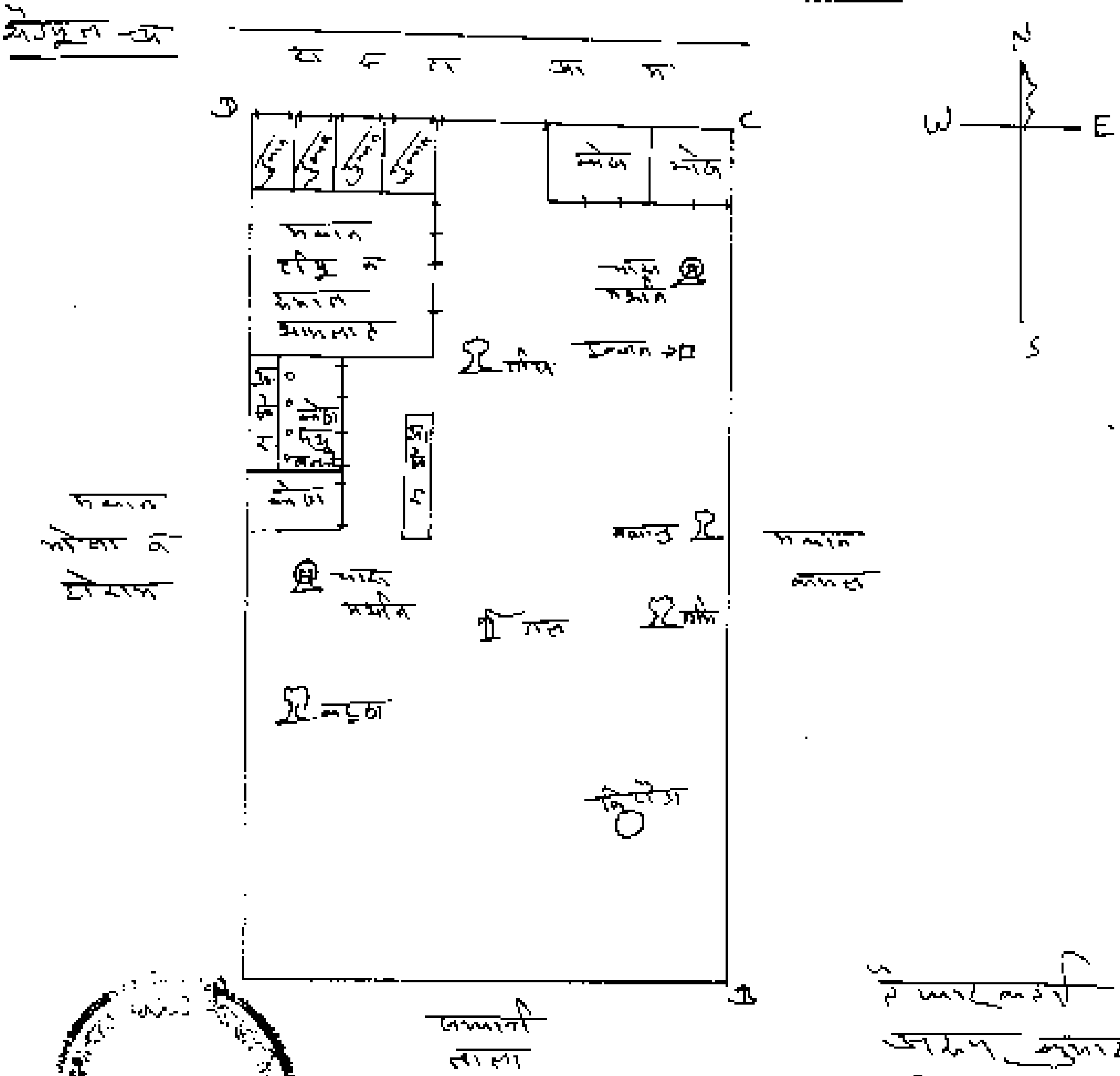

[illegible]

अरुण कुमार

23-11-09

अरुण कुमार

9- [illegible] 100.00 पैसे

[illegible] 1/8

[illegible] है।

10- इसकी सामान्य शर्तें हैं--

(1) [illegible]

[illegible]

[illegible] ।

(2) [illegible] ।

(3) [illegible]

[illegible] ।

विवरण :--

[illegible]

[illegible]

खाता संख्या	खेत संख्या	क्षेत्रफल
1495	1491	0.3290
1441	1411	0.1770
	1739	0.1290
	1796	0.2660
	1797	0.2550
	1821	0.1770
	1822	0.7590

[illegible] 100.25 पैसे

[illegible]

...SENDRA KASANA
ADVOCATE
GHAZIABAD

56
8/1/2010

न्यायालय I A.C.J. (J.D.) गा०बाद

वाद सं० 502/09

श्रीमती कमलेश बनाम टेक राम

समाधान रिपोर्ट
बाबत ... 2011

लिए ई अंकन..........रु० 10
मुख्य प्रतिलिपिक

प्रतिलिपि विभाग
गाजियाबाद

CANC
5 रुपया
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

CANC
5 रुपया
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

देने की तिथि 5/1/10
नोटिस तैयार की तिथि 5/1/10
प्रतिलिपि जारी की तिथि 5/1/10
मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट गाजियाबाद

न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट नं0 1, गाजियाबाद।

वाद संख्या- 502 सन् 2009

इस्माईल साहेब बनाम श्री टीटू त्यागी

कमीशन रिपोर्ट आख्या

श्रीमान जी,

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मैं अमीन अपर गाजियाबाद दिनांक 22-11-09 को वादी की निशान देही पर ग्राम शादीपुर कड़ैला परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद पहुंचा। वहां वादी की निशान देही पर जाकर मौके पर मौके का नक्शा नजरी व नाप जोख सम्बन्धित विवादित भूमि के बारे में जो रिपोर्ट है का नक्शा सलंग्न है। इसकी पैमाइश वादी की निशान देही पर विवादित सम्पत्ति स्थित ग्राम शादीपुर कड़ैला परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में निरीक्षण किये। नक्शा - नजरी तैयार किये जो नाप व कदम से नोट किया। सलंग्न नक्शा रिपोर्ट का भाग रहेगा।

विवादित सम्पत्ति के सलंग्न नक्शे में शेड्यूल - अ, ब, स, द, य से प्रदर्शित किया गया है। शेड्यूल - अ व ब प्रकार ABCD से प्रदर्शित सम्पत्ति

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं.-1, गाजियाबाद

वाद संख्या - 502 सन 2009

ओमवती वगैरह बनाम श्री टीटू आदि

नक्शा - नजरी किरायेदारी दुकान ... गाजियाबाद

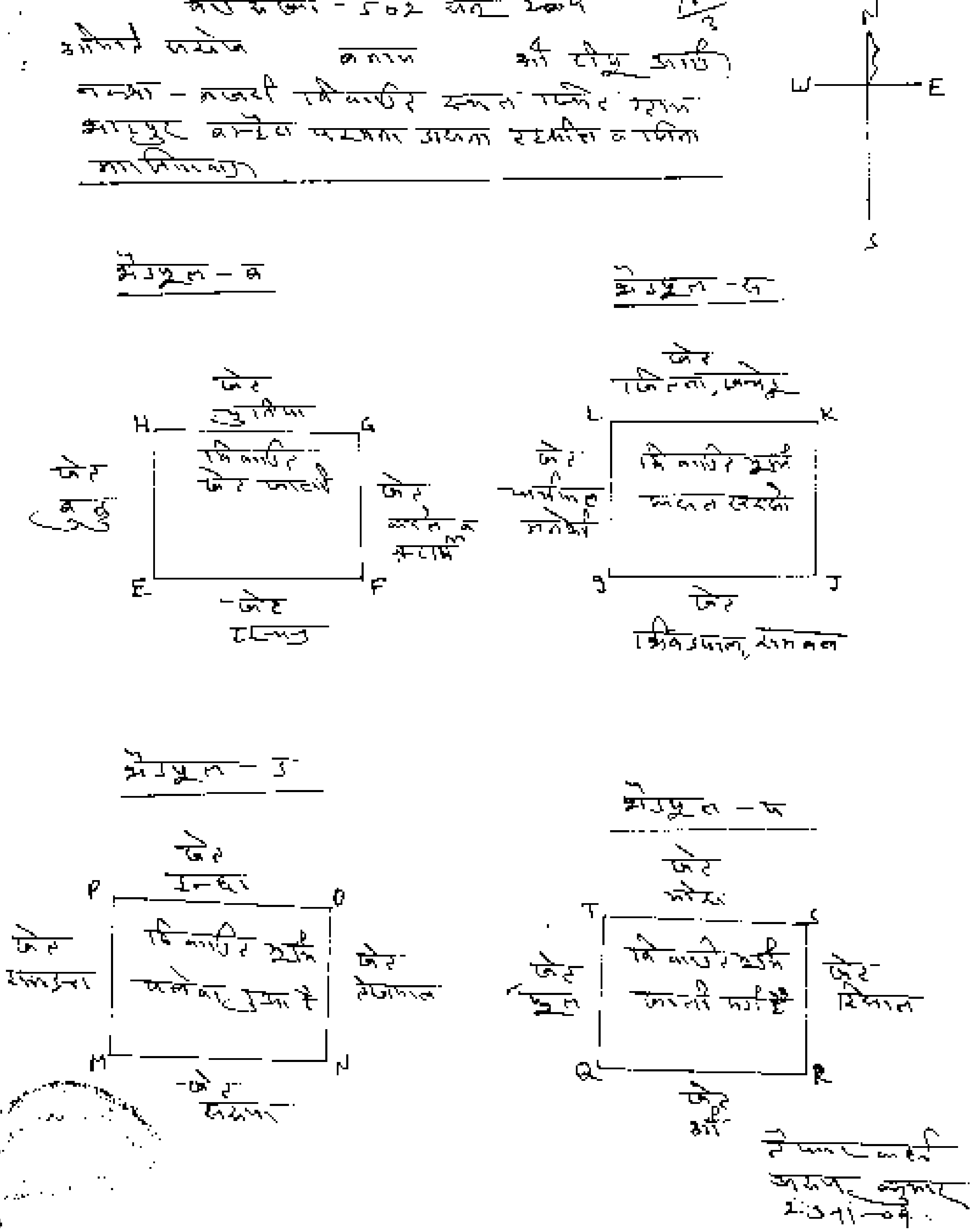

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं-1, गाजियाबाद।

वाद संख्या - 502 सन् 2009

[illegible] बनाम श्री राजू आदि

नक्शा नजरी [illegible]

[illegible]

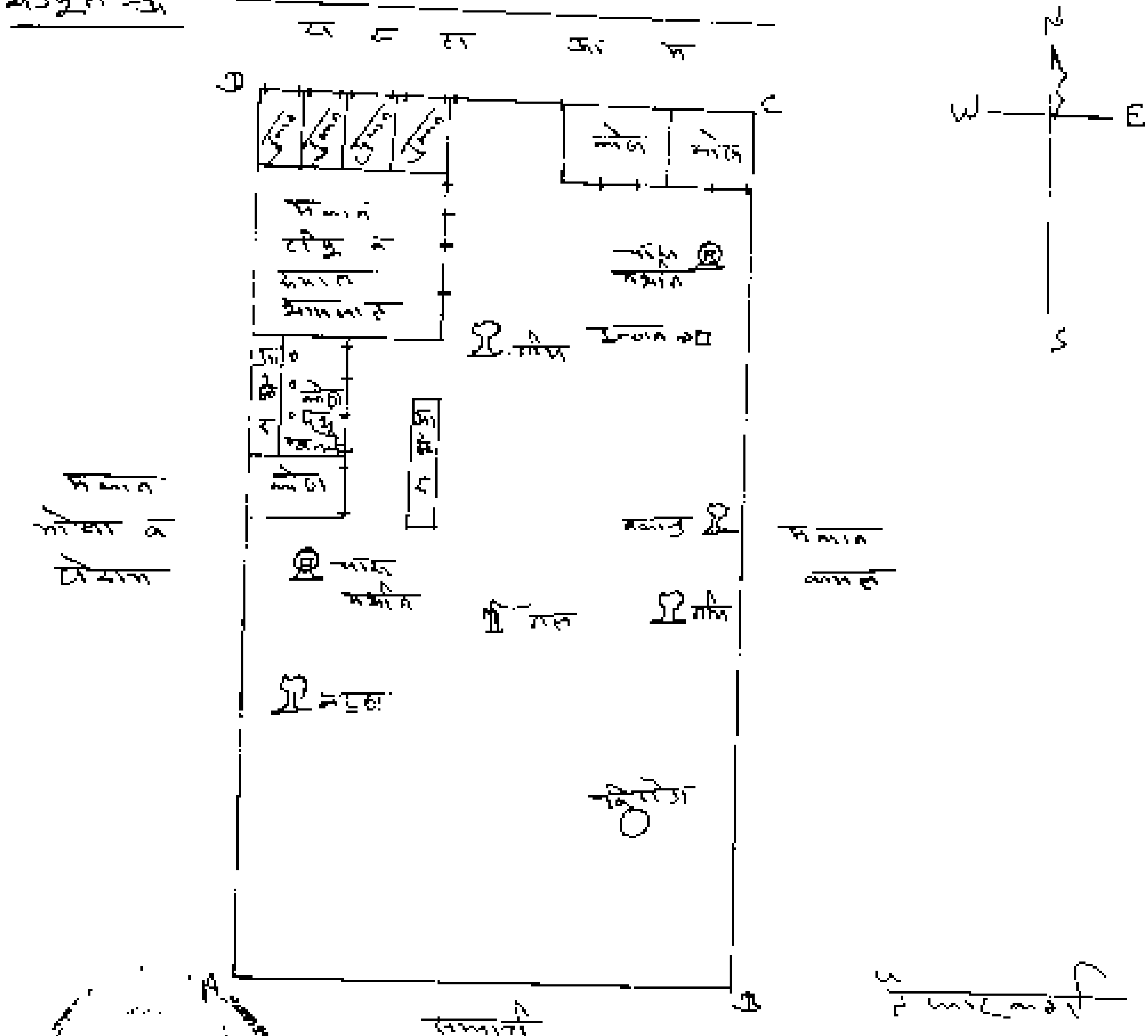

[illegible]

अरुण कुमार

22-11-09

IA(ग)(ID)42B

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गाजियाबाद

वाद सं0- 502 सन 2007

श्रीमति सरोज पुत्री श्यामल उर्फ श्याल आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

--- वादनी

27/11/08
23/12/08

बनाम

1- दीपू पुत्र स्व0 श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

2- श्यामल उर्फ श्याल सिंह आयु   साल निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

--- प्रतिवादीगण

श्रीमान जी,

<u>वादनी निम्न निवेदन करती है :—</u>

1- यह कि वादनी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:—

अद्दे

भोला | श्याल सिंह उर्फ श्यामल | कमल | ज्ञान सिंह | हीराम

(श्याल सिंह उर्फ श्यामल)

सरोज (वादनी) | सविता | सुनीता | अनिता

2- यह कि वादनी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 भोला व कमल सिंह पैतृक सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद जिसका विस्तृत विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, स्थित है।

... 2 पर

9- यह कि वास्ते अदायगी वाद का मूल्यांकन सालाना 100·05 पैसे पर किया जाता है तथा न्याय शुल्क लगान सालाना के तीस गुने के 1/5 भाग नियमानुसार अदा किया जाता है।

10- अतएव वादनी प्रार्थनी है:--

(अ) यह कि वादनी के पक्ष में डिग्री अदालत हुक्म इम्तनाई स्थाई विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत भूमि विवादित जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, विक्रय कर खुर्द-बुर्द न करें।

(ब) यह कि खर्चा वाद प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(स) यह कि अन्य प्रतिकार न्यायालय जो हक वादनी विरु. प्रतिवादीगण उचित समझे दिलाया जावे।

विवरण :--

भूमि विवादित स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

खाता संख्या	खेत संख्या	क्षेत्रफल
1439	1401	0·3290
1441	1411	0·1770
	1729	0·1390
	1796	0·2660
	1797	0·2660
	1821	0·1770
	1822	0·7590

लगान सालाना - 100·05 पैसे

पर्चा पता

नाम न्यायालय	वाद संख्या	नाम पक्षकार	साक्षी का नाम पता	तारीख पेशी
सिविल जज सीनियर डिवीजन [illegible]	—	श्रीमती रजनेश बनाम [illegible]	श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] निवासी [illegible] [illegible]	[illegible]

दि० ११/१०/०९

[illegible] / [illegible]

[illegible]

[illegible] ३ ८७

[illegible] १४५०/७६

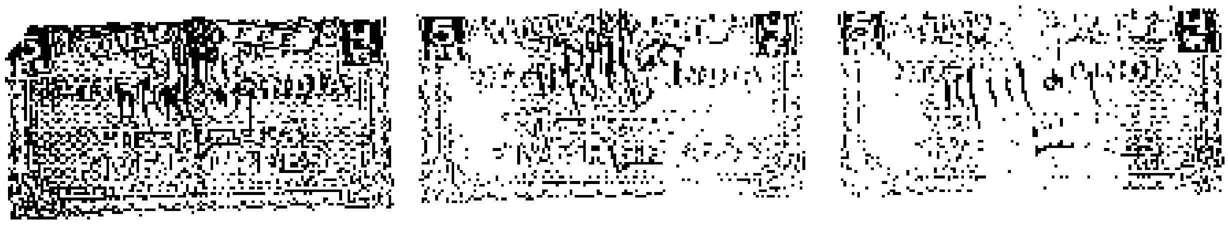

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गाजियाबाद

वाद सं0- सन 2009

श्रीमति [illegible] पुत्री [illegible] उर्फ [illegible] निवासी ग्राम [illegible]

[illegible] परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

-- वादनी

बनाम

1- [illegible] पुत्र स्व0 श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम [illegible] [illegible] परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

2- [illegible] उर्फ [illegible] सिंह [illegible] निवासी ग्राम [illegible] [illegible] परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

-- प्रतिवादीगण

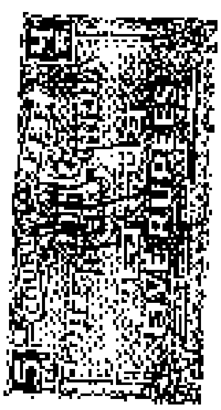

श्रीमान जी,

वादनी निम्न निवेदन करती है :--

1- यह कि वादनी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है --

[illegible]

[illegible] | [illegible] सिंह उर्फ [illegible] | [illegible] | [illegible] सिंह | [illegible]

[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]

(वादनी)

2- यह कि वादनी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 [illegible] [illegible] सिंह [illegible] [illegible] [illegible] ग्राम [illegible] [illegible], परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है, [illegible] है

.... 2 पर

3- यह कि वादिनी के कोई भाई नहीं है तथा उसकी माता अपाहिज है, उसकी देखभाल भी [illegible] रख - रखाव के लिए वादिनी अपने नाबालि[illegible] को [illegible] रखती है तथा अपने पिता के हिस्से से खेती करती है।

4- यह कि वादिनी का पिता प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी सं0 2 के [illegible] रहा है और प्रतिवादी संख्या 1 बिना कोई कीमत लिये प्रतिवादी सं0 2 को भूमि [illegible] अपने पक्ष में अथवा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कराने की कुचेष्टा में है, जिसका उसे कोई हक हासिल नहीं है।

5- यह कि भूमि विवादित सम्पत्ति पैतृक [illegible] है और उसके कोई भाई भी नहीं है, अतः [illegible] भूमि विवादित में हित अर्जित है।

6- यह कि विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 से प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] अपने हक में या अन्य किसी व्यक्ति के हक में बैनामा [illegible] तो वादिनी की अति हानि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है।

7- यह कि वादिनी ने प्रतिवादी सं0 1 से [illegible] बैनामा करने से बाज रहने हेतु कहा, [illegible] इन्कारी है, अतः वाद की आवश्यकता है।

8- यह कि वाद का कारण दिनांक 9-11-09 को जबकि अंतिम इन्कार [illegible] ग्राम [illegible] परगना [illegible] में पैदा हुआ है तथा [illegible] को वाद के सुनने एवं निर्णय का अधिकार प्राप्त है।

... 3 पर

9- यह कि वादनी तनाज़िआ वाद का मूल्यांकन मालगुज़ारी 100·05 पैसे पर किया जाता है तथा न्याय शुल्क उसके मालगुज़ारी के तीस गुने के 1/5 भाग नियमानुसार अदा किया जाता है।

10- अतः वादनी प्रार्थिनी है:--

(अ) यह कि वादनी के हक़ में डिग्री अदालत हुक्म इम्तनाई दवामी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत भूमि विवादित जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, विक्रय कर कुर्क-कुर्क न करे ।

(ब) यह कि खर्चा वाद प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

(स) यह कि अन्य अधिकार न्यायालय जो उचित वादनी विरुद्ध प्रतिवादीगण उचित समझे दिलाया जावे ।

विवरण :--

भूमि विवादित स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।

खाता संख्या	खेत संख्या	क्षेत्रफल
1439	1401	0·3290
1441	1411	0·1770
	1789	0·1390
	1796	0·2660
	1797	0·2660
	1821	0·1770
	1822	0·7590

कुल मालगुज़ारी - 100·05 पैसे

सत्यापन

मैं [illegible] प्रमाणित करती हूँ कि [illegible]

[illegible] धारा [illegible] । [illegible]

[illegible] है ।

प्रमाणित [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गाजियाबाद

वाद सं०- [illegible] /2007

श्रीमती [illegible] बनाम टीटू आदि

शपथ पत्र [illegible] पुत्री श्याम सिंह उर्फ श्यामा आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद निम्न प्रकार है--

1- यह कि मैं शपथ से कहती हूँ कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है तथा शपथकर्ता होने वादनी [illegible] के तथ्यों से परिचित हूँ।

2- यह कि मैं शपथ से कहती हूँ कि वादनी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है---

[illegible]

- [illegible]
- श्याम सिंह उर्फ श्यामा
  - [illegible]
  - [illegible]
  - सुनीता
  - अनिता
- [illegible]
- [illegible] सिंह
- होराम

(वादनी)

3- यह कि मैं शपथ से कहती हूँ कि वादनी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 [illegible] श्याम सिंह [illegible] सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद जिसका विस्तृत विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, स्थित है।

4- यह कि मैं शपथ से कहती हूँ कि वादनी के कोई भाई नहीं है तथा

सुरेश

विनोद कुमार [illegible] चौधरी

DISTT. COURT UTTAR PRADESH
2009 AFFIDAVIT
1374705

उसकी माता अपाहिज है, उसकी देख भाल व खेती के रख-रखाव के लिए वादिनी अपने मायके में ही रहती है तथा अपने पिता के हिस्से में खेती करती है।

5- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादिनी का पिता प्रतिवादी सं0 2, प्रतिवादी सं0 1 मुनहसर कर रखा है और प्रतिवादी सं0 1 बिना कोई औसत उनका दिये प्रतिवादी सं0 2 की भूमि बैनामा कराना ही चाहता अपने पक्ष में अथवा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कराने की फिराक में है, जिसका उसे कोई हक हासिल नहीं है।

6- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि चूंकि विवादित सम्पत्ति दादालाई है और उसके कोई भाई भी नहीं है, उसका इस भूमि विवादित में हित शामिल है।

7- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर अपने हक में या अन्य किसी व्यक्ति के हक में बैनामा करा लिया तो वादिनी की अति हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है।

8- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादिनी ने प्रतिवादी सं0 1 से अपने इस बैनामा से बाज रहने हेतु कहा, मगर वह इन्कारी है, अतः वाद की आवश्यकता है।

9- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि शपथ पत्र का समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान से सत्य है।

शपथकर्ता

स्थान गाजियाबाद
दिनांक - 10-11-09

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) [illegible]

वाद सं० [illegible] सन् 2009

[illegible] बनाम [illegible]

जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी पी सी

निम्न है —

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी ने [illegible] विवादित [illegible] मकान [illegible] किया है, जिससे प्रार्थी के [illegible] की पूर्ति आसान है। प्रार्थी के कोई भाई नहीं है तथा उसकी माता [illegible] है, उसकी देखभाल व सेवा [illegible] के लिए प्रार्थी उसी मकान में ही रहती है। [illegible] प्रतिवादी [illegible] उक्त विवादित सम्पत्ति [illegible] सकता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। [illegible] प्रतिवादी [illegible] प्रार्थी के [illegible] किसी अन्य व्यक्ति को बैनामा [illegible] प्रार्थी को [illegible] किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि [illegible] प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी को [illegible] किसी के नाम बैनामा न करे, अतः [illegible] करें।

दिनांक – 12-11-09

प्रार्थी [illegible]

द्वारा [illegible]

जिला—

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) गाजियाबाद

वाद सं०— सन 2009

श्रीमति सरोज बनाम दीपू आदि

शपथपत्र ओर से श्रीमती सरोज पुत्री रामपाल उर्फ लाल आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

निम्न है।--

1- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सच/सही है तथा [illegible] होने वादनी शपथपत्र के तथ्यो से परिचित हूं।

2- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादनी ने उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] न्यायालय मे योजित किया है, जिसमे वादनी को सफलता की पूर्ण आशा है।

3- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादनी के कोई भाई नहीं है तथा उसकी माता अपाहिज है, उसकी देख भाल व खेती के रख – रखाव के लिए वादनी अपने [illegible] मे ही रहती है व प्रतिवादी सं० 2 प्रतिवादी सं० 1 को गुमराह करके उक्त विवादित सम्पत्ति को लेकर हड़पना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है, चूंकि विवादित सम्पत्ति [illegible] सम्पत्ति है, इसलिए प्रतिवादीगण वादनी के पीछे [illegible] नाजायज फायदा उठाकर अपने हक मे या अन्य किसी व्यक्ति को बेचाना चा [illegible], यदि वो ऐसा करने मे सफल [illegible] वादनी को अपार हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी [illegible] नहीं है।

शपथकर्ता सरोज

मैं [illegible] करती हूं कि शपथ पत्र [illegible] मेरी [illegible] है।

[illegible] गाजियाबाद

दिनांक—10-11-09 सरोज

DISTT. COURT UTTAR PRADESH 2009 AFFIDAVIT 1374725

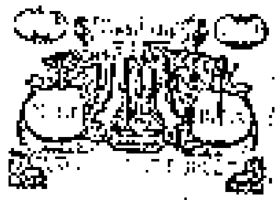

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) गाजियाबाद

वाद सं०-   सन 2009

श्रीमति सरोज   बनाम   टीपू आदि

प्रार्थना पत्र वास्ते अमीन कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 सी पी सी निम्न है:--

श्रीमान जी,

निवेदन है कि उपरोक्त वाद वादनी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय मे योजित किया है। विवादित सम्पत्ति की वादनी बजरिये पंजीकृत बैनामा मालिक, काबिज व दखील चली आती है, ऐसी स्थिति मे माननीय न्यायालय के समक्ष विवादित सम्पत्ति की सही स्थिति लाने व प्रतिवादीगण पर आदेश नोटिस व सम्मन आदि कराये जाने हेतु अमीन कमीशन नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वाद मे अमीन कमीशन नियुक्त किया जाकर निम्नलिखित रिपोर्ट व नक्शा तलब कराया जावे ।

1. यह कि अमीन कमीशन महोदय प्रतिवादीगण पर नोटिस व सम्मन आदि की तामील करे ।

2. यह कि अमीन कमीशन महोदय विवादित सम्पत्ति का नक्शा बनाये तथा अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे ।

3. यह कि अन्य कोई वाद परस्त कार्यवाही पैरोकार वादनी वकील वादनी नोटिस कराये और अपनी रिपोर्ट मे लिखे ।

दिनांक - 10-11-09

वादनी
सरोज

द्वारा

एडवोकेट

न्यायालय ए०सी०(जे०डी०) [illegible] ग्राम न्याय

वाद संख्या -09

श्रीमती [illegible] बनाम [illegible] आदि

[illegible] की वादी [illegible]

[illegible] कटियार [illegible] ग्राम न्याय

आदेश— [illegible]

[illegible] 1412 ता 1417 [illegible] ग्राम [illegible]

[illegible] ग्राम न्याय

[illegible] है

[illegible] 11/11/09

[illegible]

[illegible]/[illegible]

द्वारा

[illegible] कटियार

[illegible]

[illegible]

ग्राम न्याय

[illegible] 11/11/09

उद्धरण खतौनी

3010210111 ग्राम का नाम : शाहपुर बम्हैटा परगना : डासना तहसील : गाजियाबाद

गाजियाबाद फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सार या उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2		3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
01441 रमेश	श्रीमा	नि. ग्राम	1360फ	1789	0.1390		अर्देशानुसार श्रीमान नायब तहसीलदार दिनांक 63/26-4-05 खाता सं0 1441 के खसरा नं0 1789/0.139,1796/0.26 1797/0.266,1821/0.177 कुल 4 किता रकबा 0.845 के बकदर भाग से विक्रेता कमाल पुत्र उदय निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता ग्यानचन्द पुत्र उनकी निर्धारित भाग दर्ज किया जाय ह0 अ0का0	
महेश	श्रीमा	नि. ग्राम	1360फ	1796	0.2660		आदेशानुसार श्रीमान नायब तहसीलदार पत्री.सं.न 278/25-5-05 खा.न. 1822/0.759 का. 37.50 के बकदर भाग से विक्रेता कमाल पुत्र उदय नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता श्रीचन्द पुत्र राम सिंह नि.ग्राम का नाम बतौर क्रेता दर्ज हो ह.अ.का.	
~~जमील~~	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1797	0.2660			
~~कमाल~~	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1821	0.1770			
शिवराम	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1822	0.7590			
~~रीता~~	ग्यानचन्द	नि. ग्राम						
श्रीचन्द	रामफल	नि. ग्राम						
सत्यपाल	रामफल	नि. ग्राम						
			कुल गाटे : 5	कुल क्षे. :	1.6070		75.05	

हस्ताक्षर
सिद्धार्थ कौशिक
लेखपाल (कुर्सिया)
तह० गाजियाबाद